

कार्यालय
प्रमुख अभियंता
(विधि प्रकोष्ठ) सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक: मेमो / प्र0अ0 / वि0प्र0 / सी-2 / 15 / एन0बी0 / डी0बी0 / 2017 दिनांक 09 मई 2018
विषय:- वाद संख्या 15 / एन0बी0 / डी0बी0 / 2017 श्री सुनील कुमार एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य
के सम्बन्ध में।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्रांक: 476 / प्र0अ0 / वि0प्र0 / सी-2(138) / 15 / एन0बी0 / डी0बी0 /
2017 दिनांक 8 मार्च 2018

मुख्य अभियन्ता स्तर-I, हल्द्वानी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।

मुख्य अभियन्ता, स्तर - II, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, श्रीनगर (गढ़वाल), व रुड़की।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें वाद संख्या 15 / एन0बी0 / डी0बी0 / 2017 श्री सुनील कुमार एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य जो कि मा0 लोक सेवा अधिकरण, शाखा नैनीताल में योजित है, मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों 'समस्त कर्मचारी/अधिकारी जो कि उक्त वाद से प्रभावित होते हो व उन्हें प्रतिवादी नहीं बनाया गया है एवं इस वाद में अपने हितों की रक्षा करने के इच्छुक हो, उन्हें सूचित किया जाये ताकि वे स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्षकार बन सकते हैं।' को अपने अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रचालित करने हेतु लिखा गया था।

उक्त के सम्बन्ध में पुनः अनुरोध है कि मा0 लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल के निर्देशों को अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के मध्य प्रचालित करने का कष्ट करें।

वाद की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु विभागीय वेबसाईट www.uttarakhandirrigation.com पर उपलब्ध है।

(ए0के0 दिनकर)
प्रमुख अभियंता

पत्रांक: / प्र0अ0 / वि0प्र0 / तदिनांक

प्रतिलिपि-

1. अधिशासी अभियंता/पैरोकार, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून को मा0 न्यायालय के संज्ञानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियंता, परियोजना खण्ड, देहरादून को विषयगत रिट की सापट कॉपी इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अविलम्ब आज ही विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(सुभाष चंद्र)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (विधि)
कृते प्रमुख अभियंता